

## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

अपील संख्या 133/2022

मेघाराम उर्फ मेघा, आयु 86 वर्ष पुत्र गणेशा, जाति जाट, निवासी महारादासी, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

— अपीलान्त

बनाम

1. हरिसिंह आयु व्यस्क दत्तक पुत्र धापू, जाति राजपूत, निवासी धिरडौदा खारा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर ( राज0 )
2. भैरुसिंह आयु व्यस्क पुत्र जतन कंवर, जाति राजपूत, निवासी धिरडौदा खारा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर ( राज0 )
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 352 वाके ग्राम कोलाली दिनांक 08.07.2022 ( 14.07.2022 )

उपस्थित

1. श्री शिवनारायण सिंह, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कमलेश झाझडिया, एडवोकेट— रेस्पोजेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोजेन्ट सं0 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.10.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार मण्डावा के नामान्तरकरण सं0 352 दिनांक 08.07.2022 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 सी0पी0सी0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्तस के अनुसार अपील मे सारवान व संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 246 तादादी 2.43 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली स्थित है जो जमीन गत खसरा नम्बर 62/1 तादादी 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम कोलाली से बने है। पुराना मूल खसरा नं0 62 के बटा नं0 62/2 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम कोलाली स्थित रहा है जिसके नये खसरा नं0 257 तादादी 1.59 हैक्टर वाके कोलाली के बाबत विवाद नही है। जमीन खसरा नं0 246 तादादी 2.43 हैक्टर व ख0न0 257 तादादी 1.59 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली एक ही खाता मे रखे हुए है। इसलिए ख0न0 257 तादादी 1.59 हैक्टर का हवाला अपील मे दिया गया है। जमीन ख0नं0 246 तादादी 2.43 हैक्टर जो पुराना खसरा नं0 62/1 तादादी 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम कोलाली से बने है। मूल खसरा नं0 62 मे कुल भूमि 18 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम कोलाली मे से बटा नम्बर 62/1 तादादी 9 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार पहले अपीलान्त का पिता गणेशा पुत्र मूंगा, जाति जाट, निवासी महारादासी रहा व काबिज रहा। इस भूमि के राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्त के पिता गणेश का नाम बतौर उपकृषक इस भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि मे दर्ज रहा। झुंझुनूं जिला मे खातेदारी की जमीन की जमाबन्दियां संवत् 2012 मे बननी शुरू हुई। प्रथम जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 तक बनी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तदनुसार संवत् 2012 मे ही लागू हुआ जिसके प्रावधानों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भूमि का बतौर काश्तकार या उपकृषक जमाबन्दी बाबत 2012 मे दर्ज था वह व्यक्ति स्वतः ही अपनी कब्जे काश्त की भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया। झुंझुनूं मे खसरा गिरदावरी संवत् 2009 मे बनाई जानी शुरू की गई। प्रथम खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2012 बनी। खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2019 तक व 2030 से 2033 तक मे कृषि को काश्त करने वाले व्यक्ति का भी नाम दर्ज किया गया। खसरा गिरदावरियों से भी अपीलान्त के पिता गणेशा का जमीन मूल खसरा नं0 62 तादादी 18 बीघा 18 बिस्वा मे से 1/2 भाग

पर कब्जा काश्त बतौर उपकृषक संवत् 2010 अर्थात् सन् 1953 से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने से पहले से व टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने के समय कब्जा काश्त बतौर उपकृषक होना इस भूमि के राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है। परन्तु बाद में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को गलती से यह जमीन पेपसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम गलत दर्ज हो गई। अपीलान्ट के पिता गणेशा की मृत्यु के बाद खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2033 में अपीलान्ट का नाम दर्ज है जो अपीलान्ट का इस जमीन पर लगातार काश्त करते हुए बतौर खातेदार होना प्रमाणित करता है। उक्त अनुसार अपीलान्ट इस जमीन का खातेदार काश्तकार है व काबिज है। उक्त पेपसिंह का इस जमीन पर कभी कोई कब्जा या हक अधिकार नहीं रहा। उक्त पेपसिंह की दो पुत्रियां धापू कंवर, जतन कंवर बताई जाती हैं। जिनका भी उक्त पेपसिंह की मृत्यु के बाद इस विवादित जमीन का कब्जा काश्त या अन्य किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रहा। उक्त पेपसिंह की पुत्रियां उक्त धापू कंवर जतन कंवर की बहुत पहले ही शादियां होकर वे दोनों अपने ससुराल धिरधौडा खारा तहसील लाडनूं जिला नागौर ( राज0 ) चली गईं। वहीं पर रही तथा इन दोनों ने भी विवादित जमीन के बाबत कभी किसी प्रकार का कोई क्लेम किसी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पेपसिंह का देहान्त होने के बाद भी इस जमीन का राजस्व रिकार्ड उक्त पेपसिंह के नाम से ही दर्ज न चलता रहा तथा उसकी पुत्रियों उक्त धापू कंवर व जतन कंवर ने कभी भी अपनी अपीलान्ट्स की कब्जाशुदा विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से करवाने का कोई प्रयास कभी नहीं किया। रेस्पोजेन्ट नं0 1, 2 ने तहसील मण्डावा में विवादित जमीन के बाबत नामान्तरकरण अपने नाम से तस्दीक करवाकर इस भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए बाला बाला कार्यवाही की जिस पर दिनांक 29.06.2022 को तहसीलदार मण्डावा ने अपीलान्ट्स के कब्जा शुदा जमीन ख0न0 246 रकबा 2.43 हैक्टर व अन्य ख0न0 257 रकबा 1.59 हैक्टर वाले ग्राम कोलाली के बाबत 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण रेस्पोजेन्ट नं0 1 के नाम से तथा शेष 1/2 की हिस्से का नामान्तरकरण रेस्पोजेन्ट नं0 2 के नाम से खोले जाने का आदेश दिया। तहसील मण्डावा के उक्त आदेश दिनांक 29.06.2022 की पालना में रेस्पोजेन्ट नं0 3 ने अपीलान्ट को खोतदारी की व कब्जा काश्त की जमीन ख0न0 246 रकबा 2.43 हैक्टर व खसरा नं0 257 तादादी 1.59 हैक्टर वाले ग्राम कोलाली में से 1/2 हिस्से की जमीन का नामान्तरकरण संख्या 352 वाले ग्राम कोलाली दिनांक 08.07.2022 जो दिनांक 14.07.2022 को तहसीलदार मण्डावा द्वारा विधि विरुद्ध खोला जाकर रेस्पोजेन्ट नं0 1 के नाम से तस्दीक किया है जो कानून के विरुद्ध होने से तथा उक्त नामान्तरकरण से अपीलान्ट के हित प्रभावित होने से उक्त नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील नीचे लिखे उजरात के अनुसार पेश है। आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 352 दिनांक 08.07.2022 ( 14.07.2022 ) वाले ग्राम कोलाली खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। जब किसी भूमि के संबंध में नामान्तरकरण पुर किया जाकर तस्दीक किया जाता है तो नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व संबंधित जमीन के भौतिक कब्जा के बारे में जांच करवाई जाकर जिस व्यक्ति के नाम से नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना है उसका उस जमीन पर भौतिक कब्जा होना सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति का संबंधित जमीन पर भौतिक कब्जा नहीं है तो उसके कब्जा के अभाव में उस व्यक्ति के नाम से कानून से नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता तथा इस प्रकार बिना कब्जा के पुर किये गये नामान्तरकरण की इसी आधार पर खारिज किये जाने का विधान है परन्तु प्रकरण में पटवारी हल्का अथवा संबंधित गिरदावर हल्का ने बिना भौतिक कब्जा के बाबत जांच किये नामान्तरकरण खोला जाकर उसमें गोदनामा बतलाते हुए रेस्पोजेन्ट नं0 3 के समक्ष प्रस्तुत किया तथा रेस्पोजेन्ट नं0 3 तहसीलदार मण्डावा ने बिना किसी प्रकार की भौतिक कब्जा बाबत जांच करवाये दिनांक 14.07.2022 को नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का विधि विरुद्ध आदेश दिया जो नामान्तरकरण उक्त परिस्थितियों में खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट उक्त अनुसार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के सन् 1955 में प्रभाव में आने से पहले से बतौर उपकृषक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा समस्त पुराने राजस्व रिकार्ड को बिना देखे इस जमीन को पहले गलत रूप से उक्त पेपसिंह की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जबकि उस जमीन पर उक्त पेपसिंह का कभी कोई अधिकार नहीं रहा। रेस्पोजेन्ट नं0 3 नामान्तरकरण जैर बहस तस्दीक किये जाने से पूर्व यदि जमीन के भौतिक कब्जा के बाबत जांच करवाते तो इस जमीन पर भौतिक कब्जा अपीलान्ट का है। अपीलान्ट ने हमेशा की भांति इस साल भी जमीन खसरा नम्बर 246 तादादी 2.43 हैक्टर वाले ग्राम कोलाली में बाजरा, मोठ, गवार की फसल काश्त की हुई है। अपनी जमीन के चारों तरफ तारबन्दी की हुई है तथा फसल की निराई करते हुए अपीलान्ट के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफी करवाई हुई है जो इस अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है। इन हालात में उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व

अपीलान्ट को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद ही कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट नं० 3 ने अपीलान्ट को बिना अवसर दिये व बिना मौके की जांच किये नामान्तरकरण जैर बहस गलत रूप से तस्दीक किया है जो विधि विरुद्ध है। नामान्तरकरण जैर बहस प्रभाव में रहने से रेस्पोजेन्ट नं० 1 विवादित जमीन को किसी अन्य के हक में ही आगे अन्तरित कर सकता है अथवा किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था आदि से ऋण सुविधा आदि प्राप्त कर अपीलान्ट को हानि पहुंचा सकता है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर बहस को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 352 वाके ग्राम कोलाली दिनांक 08.07.2022 ( 14.07.2022 ) को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 246 तादादी 2.43 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली का राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण तैर बहस से पूर्व के अनुसार रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जब किसी भूमि के संबंध में नामान्तरकरण पुर किया जाकर तस्दीक किया जाता है तो नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व संबंधित जमीन के भौतिक कब्जा के बारे में जांच करवाई जाकर जिस व्यक्ति के नाम से नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना है उसका उस जमीन पर भौतिक कब्जा होना सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति का संबंधित जमीन पर भौतिक कब्जा नहीं है तो उसके कब्जा के अभाव में उस व्यक्ति के नाम से कानून से नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता तथा इस प्रकार बिना कब्जा के पुर किये गये नामान्तरकरण की इसी आधार पर खारिज किये जाने का विधान है परन्तु प्रकरण में पटवारी हल्का अथवा संबंधित गिरदावर हल्का ने बिना भौतिक कब्जा के बाबत जांच किये नामान्तरकरण खोला जाकर उसमें गोदनामा बतलाते हुए रेस्पोजेन्ट नं० 3 के समक्ष प्रस्तुत किया तथा रेस्पोजेन्ट नं० 3 तहसीलदार मण्डावा ने बिना किसी प्रकार की भौतिक कब्जा बाबत जांच करवाये दिनांक 14.07.2022 को नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का विधि विरुद्ध आदेश दिया है। अपीलान्ट उक्त अनुसार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के सन् 1955 में प्रभाव में आने से पहले से बतौर उपकृषक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा समस्त पुराने राजस्व रिकार्ड को बिना देखे इस जमीन को पहले गलत रूप से उक्त पेपसिंह की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जबकि उस जमीन पर उक्त पेप सिंह का कभी कोई अधिकार नहीं रहा। रेस्पोजेन्ट नं० 3 नामान्तरकरण जैर बहस तस्दीक किये जाने से पूर्व यदि जमीन के भौतिक कब्जा के बाबत जांच करवाते तो इस जमीन पर भौतिक कब्जा अपीलान्ट का है। अपीलान्ट ने हमेशा की भांति इस साल भी जमीन खसरा नम्बर 246 तादादी 2.43 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली में बाजरा, मोठ, गवार की फसल काश्त की हुई है। अपनी जमीन के चारों तरफ तारबन्दी की हुई है तथा फसल की निराई करते हुए अपीलान्ट के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफी करवाई हुई है। इन हालात में उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद ही कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट नं० 3 ने अपीलान्ट को बिना अवसर दिये व बिना मौके की जांच किये नामान्तरकरण जैर बहस गलत रूप से तस्दीक किया है जो विधि विरुद्ध है। नामान्तरकरण जैर बहस प्रभाव में रहने से रेस्पोजेन्ट नं० 1 विवादित जमीन को किसी अन्य के हक में ही आगे अन्तरित कर सकता है अथवा किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था आदि से ऋण सुविधा आदि प्राप्त कर अपीलान्ट को हानि पहुंचा सकता है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर बहस को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 352 वाके ग्राम कोलाली दिनांक 08.07.2022 ( 14.07.2022 ) को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 246 तादादी 2.43 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली का राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण तैर बहस से पूर्व के अनुसार रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।


वकील रेस्पोजेन्ट सं० 1 व 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के कब्जे का हक अपील में तय नहीं होता है। अपीलान्ट अपने हक व अधिकार दावे में तय करवा सकता है। यदि रिकार्ड गलत भी बना है तो अपीलान्ट को उसे दुरुस्त करवाना चाहिए था। अपीलान्ट ने इतने साल रिकार्ड क्यों नहीं दुरुस्त करवाया। अपीलान्ट ने अपील के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा में दावा किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा द्वारा स्थगन आदेश भी अपील दर्ज होने के बाद जारी किया गया

है। अपीलान्ट ने यह नहीं बताया की नामान्तरकरण मे क्या अनियमितता है। अदालत मातहत ने बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकार किया है। अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं0 3 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकार किया है। अपीलान्ट की अपील उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। बहस वकील पक्षकारान् एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात् से साफ जाहिर है कि वाके ग्राम कोलाली के कम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 352 दिनांक 08.07.2022 ( 14.07.2022 ) बाद जांच स्वीकार किया गया है। अपील मे अपीलान्ट का हक तय नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय मे ही दावे के माध्यम से अपने हक तय करवा सकता है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारीज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( एल0एस0कुडी )  
जिला कलेक्टर सुन्तुनू  
सुन्तुनू